राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनु./2005–06/42 दिनांक 4-7-05

कुल सचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

विषय– निजी महाविद्यालयों को स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय,

बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय, भिटेडा (बहरोड) अलवरको वर्ष 2001–02 में आदेश क्रमांक प.2(22)शिक्षा–4/2001 दिनांक 1.8.2001 द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया था । राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अब अकादमिक सत्र 2005–06 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :–

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करनी होगी ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
4. संस्था द्वारा अध्यापन हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें (Infrastructural facitilites) उपलब्ध करानी होगी ।
5. संस्था समय पर यूजीसी/ राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा, द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
6. संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी होगी। शर्तों की पालना न करने या उनका उल्लंघन करने पर प्रदत्त एन.ओ.सी. को आहरित (Withdraw) भी किया जा सकता है ।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।
8. संस्था को अकादमिक स्टेण्डर्ड बनाये रखने हेतु प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करने का दायित्व स्वयं का होगा ।
9. आपको दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।

भवदीय,

(एस.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, अलवर
8. अध्यक्ष/सचिव/बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय, भिटेडा (बहरोड) अलवर
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
11. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (अनुदान)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनु./2004-05/ 2093 दिनांक 9 -12- 2004

कुल सचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर ।

विषयः- बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय, भीटेडा (बहरोड) अलवर को स्नातक स्तर पर अस्थाई
अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अभिवृद्धि ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय, भीटेडा (बहरोड) अलवर को स्थाई एनओसी हेतु भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र एवं एण्डोमेंट राशि का विवरण न होने के कारण स्नातक स्तर पर कला संकाय में अनिवार्य विषयों सहित - 1. हिन्दी साहित्य 2. राजनीति विज्ञान 3. संस्कृत 4. इतिहास 5. लोक प्रशासन 6. अर्थशास्त्र 7. गृह विज्ञान विषयों में सत्र 2004-05 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अभिवृद्धि निम्नांकित शर्तो के साथ की जाती है :-

सत्र 2004-05 के लिये आवेदक महाविद्यालय को आदेश के दिनांक से 6 माह के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि इस शर्त के साथ दी जाती है कि संस्था सभी कमियों की पूर्ति करेगी एवं पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसरण में शर्तों की पालना कर सम्बन्धित संस्था निरीक्षण के लिए सूचित करेगी । यदि संस्था के द्वारा पर्याप्त समय से पूर्व पालना हेतु दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो वर्ष 2004-05 के लिए प्रदत्त एनओसी स्वतः निरस्त हो जावेगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

1. यदि आपकी संस्था द्वारा सभी शर्तों की पूर्ति की जा चुकी है तो तदनुसार सूचित करें ताकि अंतिम निरीक्षण करवाकर स्थाई एनओसी जारी करने पर विचार किया जा सके ।
2. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करेगी ।
3. संस्था सभी विषयों में यू.जी.सी. अर्हताप्राप्त व्याख्याता नियुक्त करेगी ।
4. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्तियों को नियुक्त करेगी ।
5. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
6. संस्था राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी ।
7. संस्था भविष्य में समय पर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि प्राप्त करने हेतु आवेदन करेगी ।

भवदीय,

9/12

(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, अलवर।
8. सचिव, बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय, भीटेडा (बहरोड) अलवर ।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था / ...

1(b) (7)

(5)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4)विभाग

प. 2 (22)/शिक्षा-4/ 17

जयपुर, दिनांक: 10.7.2003

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषय:- बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय भीटेडा , बहरोड , अलवर में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003-04 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

संदर्भ:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ,जयपुर से प्राप्त पत्र कमांक: प.4( ) लेखा/निकाशि/ 2001/ 2132 दिनांक: 4.6.2003

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कॉलेज शिक्षा ,राजस्थान , जयपुर द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र में की गई अनुशंषा के आधार पर उपरोक्त महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय में गृह विज्ञान नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003-04 से तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न लिखित शर्तो के साथ जारी किया जाता है :-

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश देगी ।
2. संस्था यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त करेगी तथा यू.जी.सी.अर्हताधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति करके सूची एक वर्ष के अन्दर निदेशक कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करेगी अन्यथा निदेशालय द्वारा एन. ओ.सी. रद्द करने बाबत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
3. संस्था अशैक्षणिक पदों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार व्यक्तियों की ही नियुक्ति करेगी ।
4. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में नियमानुसार निर्धारित एण्डोमेन्ट राशि जमा करानी होगी
5. संस्था नवीन महाविद्यालय में प्रारम्भ किये जाने वाले विषयों में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे कक्षा कक्ष /फर्नीचर/प्रयोगशालायें/पुस्तकालय /खेलकूद मैदान आदि की व्यवस्था करेगी ।
6. संस्था को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
7. संस्था समय समय पर जारी राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय के निर्देशों की पालना करेगी ।
8. उक्त महाविद्यालय में नवीन विषय /पाठ्यक्रम हेतु सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं निदेशालय कॉलेज शिक्षा को सूचित किया जावेगा ।

भवदीय ,
(हस्ताक्षर)
विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक , मा0 राज्यमंत्री , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
2. निजि सचिव , शासन सचिव , उच्चशिक्षा ,राजस्थान , जयपुर ।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
4. उप सचिव , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर ,अलवर ।
6. सचिव, बाबा खेतानाथ महिला शिक्षा प्रसार समिति, भीटेडा, बहरोड, अलवर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

प्राचार्य / सचिव
बाबा खेतानाथ महिला शिक्षा प्रसार समिति
भीटेडा (बहरोड) अलवर

Affiliation ... 28/7

(6)

240983

(8)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

प. 7 (22), शिक्षा-4/... जयपुर, दिनांक 10.7.2003

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषय : बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय भीटेडा, बहरोड़, अलवर में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2003-04 के लिये संशोधित अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

संदर्भ : इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.7.2003

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय में गृह विज्ञान नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, इसमें कला संकाय में गृह विज्ञान नवीन विषय के स्थान पर गृह विज्ञान संकाय पढ़ा जावे ।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 राज्यमंत्री, उच्चशिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजि सचिव, शासन सचिव, उच्चशिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. उप सचिव, उच्चशिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, अलवर ।
6. सचिव, बाबा खेतानाथ महिला शिक्षा प्रसार समिति, भीटेडा, बहरोड़, अलवर ।
7. रक्षित पत्रावली ।

(हस्ताक्षर)
विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

53
28/7/03

प्राचार्य
बाबा खेतानाथ महिला शिक्षा प्रसार समिति
भीटेडा (बहरोड़) अलवर

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

प० 2(22)शिक्षा-4/2001 जयपुर दि० 1/8/2001

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर।

विषय- भाटेरा (बहरोड़) में बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय के नाम से स्नातक स्तर पर कला संकाय में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2001-2002 के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

संदर्भ- पत्रांक प4( )लेखा/निजीशि/2001-582 दि० 25/7/2001

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक कालेज शिक्षा जयपुर के संदर्भित पत्र द्वारा की गयी अनुशंषा के आधार पर भाटेरा (बहरोड़) में बाबा खेता नाथ महिला महाविद्यालय के नाम से नया महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, इतिहास, लोक प्रशासन, एवं अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान (कुल सात) ऐच्छिक विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2001-2002 के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1- संस्था द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किया जाना होगा तथा सम्बद्धता प्राप्त करने के बाद ही छात्राओं को प्रवेश देना होगा।

2) संस्था अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होते ही शेष 5-00 (पांच) लाख रुपये स्थायी जमा में 5 वर्ष के लिये जमा कराकर निदेशक कालेज शिक्षा को सूचित करेगी।

3- संस्था सभी विषयों में यू०जी०सी० अर्हताधारी व्याख्याता नियुक्त करेगी।

4- संस्था निर्धारित एन्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करायेगी।

5- संस्था एक वर्ष में अपना भवन निर्माण करायेगी तथा महाविद्यालय हेतु सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

6- संस्था को राज्यसरकार/वर्तमान तथा भविष्य में कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।

भवदीय

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्र० 2(22)शिक्षा-4/2001 जयपुर दि० 1/8/2001

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर ।

विषय- भीटेड़ा (बहरोड़) में बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय के नाम से स्नातक स्तर पर कला संकाय में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2001-2002 के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ।

संदर्भ- पत्रांक प4 (लेखा/निजीशि/2001- 582 दि० 25/7/2001

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक कालेज शिक्षा जयपुर के संदर्भित पत्र द्वारा की गयी अनुशंषा के आधार पर भीटेड़ा (बहरोड़) में बाबा खेता नाथ महिला महाविद्यालय के नाम से नया महाविद्यालय प्रारम्भ करने एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, इतिहास, लोक प्रशासन, एवं अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान (कुल सात) ऐच्छिक विषय प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2001-2002 के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1- संस्था द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किया जाना होगा तथा सम्बद्धता प्राप्त करने के बाद ही छात्राओं को प्रवेश देना होगा।

2) संस्था अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होते ही शेष 5-00 (पांच (लाख रुपये स्थायी जमा में 5 वर्ष के लिये जमा कराकर निदेशक कालेज शिक्षा को सूचित करेगी

3- संस्था सभी विषयों में यू०जी०सी० अर्हताधारी व्याख्याता नियुक्त करेगी ।

4- संस्था निर्धारित एन्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करायगी ।

5- संस्था एक वर्ष में अपना भवन निर्माण करायेगी तथा महाविद्यालय हेतु सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी

6- संस्था को राज्य सरकार/वर्तमान तथा भविष्य में कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।

भवदीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- विशिष्ठ सहायक मा0 शिक्षामंत्री उच्च शिक्षा
2- निजी सचिव, सचिव उच्च शिक्षा
3- निदेशक कालेज शिक्षा राज0 जयपुर
4- उपसचिव उच्च शिक्षा
5- सचिव, बाबा खेतानाथ महिला शिक्षा प्रसार समिति, भाटेडा (बहरोड़)
6- रक्षित पत्रावली

विशेषाधिकारी उ0शि0

Office Supdt
12/7/02

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

प.2(88)शिक्षा-4/2002 [illegible] जयपुर, दिनांक: 12-06-02

[illegible]

विषय:- [illegible] में कला संकाय में संचालित विषयों के लिये 2002-03 के लिये सीटों में वृद्धि एवं नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

संदर्भ:- प.4( )लेखा/[illegible]/2002/702 दिनांक 29-5-2002

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा [illegible] के आधार पर पूर्व में संचालित विषयों को [illegible] सीटों में सत्र 2002-03 के लिये अभिवृद्धि एवं सत्र 2002-03 के लिये नवीन विषय बी.सी.ए. (60 सीट्स) [illegible] वाणिज्य (60 सीट्स), [illegible] (60 सीट्स) प्रारंभ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ जारी किया जाता है:-

1. संस्था द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा, तत्पश्चात ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
2. संस्था यू.जी.सी. मापदण्डानुसार व्याख्याता नियुक्त करेगी।
3. संस्था [illegible] में निर्धारित एफडीआर राशि जमा करायेगी।
4. संस्था द्वारा महाविद्यालय हेतु निर्धारित [illegible] भवन का [illegible] करायेगी।
5. संस्था महाविद्यालय में सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायेगी।
6. संस्था राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगी।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

8
12/7/02

भवदीय

Sd
(आर.के. [illegible])
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर।
4. उप सचिव, उच्च शिक्षा।
5. सचिव, [illegible] महाविद्यालय [illegible], [illegible]।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
= =

क्रमांक :- प.4(लेखा/निकाजि/2002/1047 दिनांक:- 25.06.2002

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप निदेशक (प्लान)
2. सचिव, बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय, भीटेड़ा (बहरोड़)
3. सांख्यिकी शाखा ।
4. कम्प्यूटर शाखा ।
5. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त - निदेशक,
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

प•2(22) शिक्षा•4/2001 जयपुर, दिनांक:- 12-06-02

कुलसचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषय:- भीटेड़ा (बहरोड़) में बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय में कला संकाय में संचालित विषयों के लिये 2002-03 के लिये एनओसी में वृद्धि एवं नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ।

संदर्भ:- प•4( )लेखा/निकाशि/2002/702 दिनांक 29•5•2002

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा संदर्भित पत्र में की गई अभिशंषा के आधार पर पूर्व में संचालित विषयों को जारी रखने हेतु एनओसी में सत्र 2002-03 के लिये अभिवृद्धि एवं सत्र 2002-03 के लिये नवीन विषय बी•सी•ए (60 सीट) अंग्रेजी साहित्य (60 सीट), समाज शास्त्र (60 सीट) प्रारंभ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ जारी किया जाता है:-

1• संस्था द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा, तत्पश्चात ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।
2• संस्था यू•जी•सी• अहर्ताधारी व्याख्याता नियुक्त करेगी ।
3• संस्था संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करायेगी ।
4• संस्था द्वारा महाविद्यालय हेतु निर्माणाधीन भवन का शीघ्र निर्माण करायेगी ।
5• संस्था महाविद्यालय में सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायेगी ।
6• संस्था राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगी।
7• संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।

भवदीय

(डा•के•एल•शर्मा)
विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:
1• विशिष्ट सहायक, मा0 उच्चशिक्षा मंत्रीजी ।
2• निजी सचिव, सचिव, उच्चशिक्षा ।
3• निदेशक, कालेज शिक्षा, राज0 जयपुर ।
4• उप सचिव, उच्चशिक्षा ।
5• सचिव, बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय भीटेड़ा, बहरोड़ ।
6• रक्षित पत्रावली ।